

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्र.का.लोकमंगल, 1501,
शिवाजीनगर, पुणे 411 005
विधि सेवाएँ विभाग



BANK OF MAHARASHTRA
H.O:LOKMANGAL,1501
SHIVAJINAGAR, PUNE 411005
LEGAL SERVICES DEPARTMENT

CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER- HEAD OFFICE, PUNE
Tel No.25536256 Fax: 020-25513123
E-mail:bomcolaw@mahabank.co.in Web: www.bankofmaharashtra.in

एएक्स 1/विधि/आर टी आई/2017-18/

01/06/2017

पंजीकृत डाक द्वारा

प्रिय महोदय

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका आवेदन।

विषयांतर्गत में हम आपके आवेदन पत्र का संदर्भ लेते हैं जो हमें दिनांक 05/05/2017 को प्राप्त हुआ है। इस विषय में हम आपको संबन्धित विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित जानकारी प्रदान करते हैं:

क्र	मांगी गयी जानकारी	जानकारी
1	आपकी बैंक में जनरल लिस्ट ऑफिसर उम्मीदवार को स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनाने की क्या प्रक्रिया है	उम्मीदवार जो कि सामान्य अधिकारी के रूप में चुना गया है वह विशेषज्ञ अधिकारी नहीं बन सकता।
2	यदि कोई जनरल लिस्ट से स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो क्या वह जॉइन करने से पहले रिवर्सन ले सकता की नहीं। इस संबंध में कोई नियम है तो उसकी फोटोस्टेट प्रति भी भिजवाने की कृपा करे	बैंक की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक योग्यता रखने वाले अधिकारी को विशेषज्ञ अधिकारी का काम सौंपा जा सकता है
3	क्या आप (बैंक) किसी को बाध्य कर सकती है, क्या अगर वह स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने की प्रक्रिया में चयनित हो जाता है तो, उसे उस पद पर जॉइन करना ही पड़ेगा	अगर कोई अधिकारी विशेष कौशल / ज्ञान की आवश्यकता वाले पद के लिए आवेदन करता है, और पद के लिए चुना जाता है, उसे उस पद पर काम करना आवश्यक है। वह उस असाइनमेंट / पोस्ट को, बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है तो, त्याग सकता है

यदि आप दिये गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर अपील दायर कर सकते हैं :-

महाप्रबंधक, आयोजना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, १५०१ शिवाजीनगर, पुणे, ४११००५

भवदीय,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र